

तारीख	हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
-------	-------	------------------------------------

आद मनन अवलोकन यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि शर्मा का शर्मा - पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः न्यायहित में शर्मा का शर्मा पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल ही जाकर नम्बर से कम करके इसे दाखिल दफ्तर ही जाती है।

Up.

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

